दिनाँक 15 जुलाई, 2018 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–2 के खण्ड (क) में अवश्य प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या–1420/79–वि–1–18–2(क)10/2018

लखनऊ: दिनाँक: 15 जुलाई, 2018

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2018) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

(यहाँ पर नत्थी किया हुआ छापा जाय)

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।

संख्या–1420(1)/79–वि–1–18–2(क)10/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5– प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
6– सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
8– विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9 संसदीय कार्य अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
10– भाषा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11– विधायी अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)

विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2018)

(भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम 2000 का संशोधन करने के लिये।

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है :–

अत्एव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

सक्षिप्त नाम

1. यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–29 सन् 2000 की धारा–1 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा– कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–1 में, उपधारा (1) में, शीर्षक और दीर्घनाम सहित शब्द "उपयोग और निस्तारण का विनियमन" के स्थान पर शब्द "विनियमन" रख दिया जायेगा।

नयी धारा–6क का बढ़ाया जाना

3. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

"6(क)–1 इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति के पास समस्त युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ जैसा कि वह आवश्यक समझें, किसी स्थान में निम्नलिखित के लिए प्रवेश करने का अधिकार होगा;

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौपें गये किसी कृत्य का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिए:या

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए क्या और यदि ऐसा है तो किस रीति से ऐसे किन्हीं कृत्यों का निष्पादन किया जाना है अथवा क्या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के किन्हीं उपबन्धों, या इस अधिनियम के अधीन तामील की गयी, दी गयी या प्रदान की गयी किसी नोटिस, आदेश या निदेश का अनुपालन किया जा रहा है या किया गया है; या

(ग) किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारभूत वस्तु का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए, अथवा ऐसे किसी भवन की तलाशी करने के लिए, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारभूत वस्तु का अभिग्रहण करने के लिए, यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण हों कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने का साक्ष्य उपलब्ध करा सकता है।

(2) किसी जीव अनाशित प्लास्टिक सामग्री या जीव अनाशित कूड़ा कचरा का प्रबंध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उपधारा–(1) के अधीन सशक्त व्यक्ति को, उस उपधारा के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए समस्त

सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा और यदि वह विफल रहता है तो इस अधिनियम के अधीन दण्डित किये जाने का भागी होगा।

(3)यदि कोई व्यक्ति उपधारा–(1) के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में विलम्बित करता है या व्यवधान डालता है तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डित किये जाने का दायी होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण हेतु उसी प्रकार से लागू होंगे जैसा कि वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किसी वारंट प्राधिकारी के अधीन की गयी किसी तलाशी या अभिग्रहण हेतु लागू होते हैं।

(5) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत कोई जीव अनाशित कूड़ा कचरा, प्लास्टिक या जीव अनाशित सामग्री का निस्तारण, उसी रीति के किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।"

धारा 7 का संशोधन

4 मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी अर्थात् :–

"7 राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर ऐसे प्लास्टिक या अन्य जीव अनाशित सामग्री या तत्समान सामग्री, जैसा कि वह उचित समझे, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर निर्बन्धन या प्रतिषेध अधिरोपित कर सकती है।"

धारा 8 का संशोधन

5 मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"8–(1) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में उपयोग करता है या उपयोग करने हेतु दुष्प्रेरित करता है, प्रथम दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ, जो एक माह तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो एक हजार रूपये से कम नहीं होगा और दस हजार रूपये तक हो सकता है और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के

कारावास के साथ जो छः मास तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो पांच हचार रूपये से कम नहीं होगा और जो बीस हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात करेगा अथवा विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात के लिए दुष्प्रेरित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ, जो छः माह तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो पचास हजार रूपये तक हो सकता है, और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ जो एक वर्ष तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने के साथ जो बीस हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो एक लाख रूपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई धारा 3 का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसे जुर्माने के साथ जो एक हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकता है और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसी अवधि के कारावास के साथ जो एक माह तक हो सकती है अथवा ऐसे जुर्माने के साथ जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो पचास हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

धारा 12 का संशोधन

6 मूल अधिनियम की धारा 12 में:–

(क) शब्द "स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अधिकारियों द्वारा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अधिकारियों द्वारा" रख दिए जायेंगे।

(ख) शब्द "जैसा वह उचित समझे" के स्थान पर शब्द "जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाय" रख दिए जायेंगे।

नई धारा 13क का बढ़ाया जाना	7. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:—

"13क. इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार किसी क्षेत्र में अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां व कर्तव्य, राज्य सरकार द्वारा गठित किसी निकाय या प्राधिकारी को प्रदत्त कर सकती है और ऐसे निकाय या प्राधिकारी को ऐसे क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के रूप में समझा जायेगा।"

अनुसूची का संशोधन	8. मूल अधिनियम की अनुसूची में:--

(क) शब्द "प्लास्टिक" के स्थान पर शब्द "प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामग्री" रख दिए जायेंगे।

(ख) क्रम संख्या–5 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्सम्बन्धी प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—"6.थर्मोकोल"।

राम नाईक
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

TO BE PUBLISHED IN PART-II (a) OF THE LEGISLATIVE SUPPLEMENT OF THE U.P. GAZETTE EXTRAORDINARY, DATED JULY 15, 2018 POSITIVELY

UTTAR PRADESH SHASAN
VIDHAYI ANUBHAG- 1
No. 1420 (2) /79-V-1-18-2(ka)10/2018
Lucknow: Dated: July 15 , 2018

NOTIFICATIOIN

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Plastic Aur Anya Jeev Anashit Kuda-Kachara (Upayog Aur Nistaran Ka Viniyaman) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 10 of 2018) promulgated by the Governor:-

(Here print the annexed)

By order,

Virendra Kumar Srivastava,
Pramukh Sachiv.

N0.1420 (3)/79-V-1- 18-2(Ka)10/2018 of date

Copy forwarded for information and necessary action to ,-

1. Mukhya Mantri, Uttar Pradesh.
2. Mukhya Sachiv, Uttar Pradesh Shasan.
3. Pramukh Sachiv, Nagar Vikas Anubhag-7, Uttar Pradesh Shasan.
4. Pramukh Sachiv, Vidhan Sabha, Uttar Pradesh.
5. Pramukh Sachiv, Vidhan Parishad, Uttar Pradesh.
6. Soochna Nideshak, Uttar Pradesh.
7. Pramukh Sachiv, Rajyapal , Uttar Pradesh.
8. Vidhi Paramarshi Pustakalaya, Uttar Pradesh Sachivalaya.
9. Sansadiya Karya Anubhag-1
10. Bhasha Anubhag-5, Uttar Pradesh Sachivalaya.
11. Vidhayi Anubhag-2, Uttar Pradesh Sachivalaya

By order,

(Arvind Kumar Mishra-II)
Vishesh Saachiv Evam
Upper Vidhi Paramarshi.

THE UTTAR PRADESH PLASTIC AND OTHER NON-BIODEGRADABLE GARBAGE (REGULATION OF USE AND DISPOSAL) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2018.

(U.P. Ordinance no., --------10--------of 2018)

(Promulgated by the Governor in the Sixty Ninth Year of the Republic of India).

An

Ordinance

to amend the Uttar Pradesh Plastic and Other Non-Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2000.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1- This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Plastic and Other Non-Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) (Amendment) Ordinance, 2018.

Amendment of Section 1 of U.P. Act No. 29 of 2000

2- In section 1 of the Uttar Pradesh Plastic and Other Non-Biodegradable Garbage (Regulation of Use and Disposal) Act, 2000, hereinafter referred to as the principal Act, in sub section (1) including heading and long title, for the words "Regulation of use and disposal" the word "Regulation" shall be substituted.

Insertion of new section 6A

3- After section 6 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely. :-

Power of entry and inspection

"6A - (1) Subject to the provisions of this section, any person empowered by notification by the State Government, in this behalf, shall have the right to enter, at all reasonable times with such

assistance as he considers necessary, any place,-

(a) for the purpose of performing any of the functions entrusted to him by the State Government; or

(b) for the purpose of determining whether and if so in what manner, any such functions are to be performed or whether any provision of this Act or the rules made thereunder or any notice, order or direction served, made or, given under this Act is being or has been complied with; or

(c) for the purpose of examining any record, register, document or any other material object or for conducting a search of any building in which he has reason to believe that an offence under this Act or the rules made thereunder has been or is being or is about to be committed and for seizing such record, register, document or other material object if he has reasons to believe that it may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act or the rules made thereunder.

(2) Every person handling any non- biodegradable plastic material or non- biodegradable garbage shall be bound to render all assistance to the person empowered under sub-section (1) for carrying out the functions under that sub-section and if he fails, he shall be liable to be punished under this Act.

(3) If any person willfully delays or obstructs any person empowered under sub-section (1), in the performance of his functions, he shall be liable to be punished under this Act.

(4) The provisions of Code of Criminal Procedure, 1973, shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said Code.

(5) Any non-biodegradable garbage, plastic or non-biodegradable material seized under this section shall be disposed of in the manner as the State Government may, by notification, specify."

Amendment of Section 7

4- For section 7 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

"7. The State Government may, by notification, impose restriction or prohibition on the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of such plastic or other non-biodegradable material or its like as it thinks fit within the State of Uttar Pradesh."

Amendment of Section 8

5- For section 8 of the principal Act, following section shall be substituted, namely :

"8-(1) Whoever uses in contravention or abets the use in contravention of section 7, shall be punished, in the event of first conviction with imprisonment for a term, which may extend to one month or with a fine which shall not be less than one thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees and in the event of second or subsequent conviction, with imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to twenty five thousand rupees.

(2) Whoever manufactures, sales, distributes, stores, transports, imports or exports or abets the manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export in contravention of section 7, shall be punished in the event of first conviction with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which shall not be less than ten thousand rupees and which may extend to fifty thousand rupees and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than twenty thousand rupees and which may extend to one lakh rupees.

(3) Whoever contravenes or abets the contravention of section 3 shall be punished in the event of first conviction with a fine which shall not be less than one thousand rupees and which may extend to twenty five thousand rupees and in the event of second or subsequent conviction with an imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to

fifty thousand rupees."

Amendment of Section 12

6- In section 12 of the principal Act, -

(a) for the words "by such officers of the local authority ", the words "by such officers of the State Government or the local authority" shall be substituted.

(b) for the words "as he thinks fit ", the words "as may be specified by notification by the State Government" shall be substituted.

Insertion of new section 13A

7- After section 13 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"13A For carrying out the purposes of this Act, in any area, the State Government may, by notification, confer such powers and duties of a local authority as provided in this Act, on a body or an authority constituted by the State Government and such body or authority shall be deemed to be a local authority under this Act for such area."

Amendment of Schedule.

8- In the schedule to the principal Act:-

(a) for the word "PLASTIC", the words "PLASTIC AND OTHER NON-BIODEGRADABLE MATERIAL" shall be substituted.

(b) after entry at serial number 5, the following serial number and entry shall be inserted, namely:-

"6.Thermocol"

Ram Naik

Governor, Uttar Pradesh